

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20, 1977 श्रावण 29, 1899

No. 151] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20, 1977/SHRAVANA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th August 1977

SUBJECT:—*Import of Stallions and Broodmares for breeding purposes Import Policy for April, 1977—March 1978.*

No. 60/ITC(PN)/77.—Attention is invited to the provisions contained in para 4 of Heading No 01 01/06 of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for April 1977—March 1978, in terms of which applications from Stud farms for import of horses for breeding purposes will be considered by the CCI and E, New Delhi.

2. There is considerable demand in foreign countries for Indian saddle horses. This export potential can be tapped by horse breeders in India. With a view to encouraging them to enter export trade, Government has decided that requests for import of stallions and broodmares by *bona fide* breeders under export oriented schemes will also be considered on merits. Applications from horse-breeders for this purpose should be made to the CCI&E, New Delhi in the same manner and in accordance with the provisions referred to in para 1 above.

3 Import licences, whenever granted under this scheme, will be subject to the conditions (a) that the importer will export horses/mares in value equal to three times the value of the import licence, during a period of three years, and (b) that such exports shall commence from the 6th year after the issue of the import licence, excluding the year in which it is issued. The exports will be watched on an annual basis and the value of the annual export obligation will be equal to the value of the import licence. For this purpose, the importer will be required to execute a bond, backed by a revolving bank guarantee of value equal to 25 per cent of the value of the import licence, before actual imports are arranged.

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1977

विषय — प्रजनन प्रयोजन के लिए साड़ घोड़े और बच्चे पैदा करने वाली घोड़ियों का आयात 1 अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिये आयात नीति।

सं० 60 आई डी सी (पीएन) / 77.—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) की शीर्षक सं० 01.01 06 के पैरा 4 में निहित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार प्रजनन प्रयोजन के लिए घोड़ों के आयात के लिए घोड़े के फार्मों के आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा।

2. विदेशों में भारतीय सवारी घोड़ों के लिए काफी मांग है। भारत में यह सम्भावित निर्यात घोड़ों के प्रजनकों द्वारा ही पूरी की जा सकती है। निर्यात व्यापार में शामिल होने के लिए उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्यात अभिमुखी योजना के अन्तर्गत साड़ घोड़े और बच्चे पैदा करने वाली घोड़ियों के आयात के लिए वास्तविक प्रजनकों के आवेदनों पर भी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए घोड़े के प्रजनकों को चाहिए कि वे अपना आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित तरीकों एवं नियमों के अनुसार भेजें।

3. जब कभी इस योजना के अन्तर्गत, आयात लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं तो वे इन शर्तों के अधीन होंगे (क) कि तीन वर्षों के दौरान आयात लाइसेंस के मूल्य के तिगुने मूल्य के बराबर के घोड़ों/घोड़ियों का निर्यात करेगा, और (ख) कि ऐसे निर्यात आयात लाइसेंस जारी

होने के छठवें वर्ष के बाद प्रारम्भ होंगे और इसमें वह वर्ष शामिल नहीं होगा जिसमें लाइसेंस जारी किया गया था। निर्यातों की वार्षिक आधार पर जाच की जाएगी और वार्षिक निर्यात आभार का मूल्य आयात लाइसेंस के मूल्य के बराबर होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातक की वास्तविक आयातों का प्रबन्ध करने से पूर्व आयात लाइसेंस के मूल्य के 25 प्रतिशत मूल्य के बराबर मूल्य का आवर्ती बैंक गारंटी के साथ एक बांड का निष्पादन करना पड़ेगा।

का० वे० शेपाव्रि,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशन 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

